लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– **ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (हिरमी सीमेंट वर्क्स) द्वारा ग्राम हिरमी, परसवानी, बरडीह, फुण्डहरडीह एवं सकलोर, तहसील सिमगा, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में कैप्टिव लाईम स्टोन माईन 4.2 मिलियन टन/वर्ष (लीज़ क्षेत्र 997.355 हेक्टेयर) के लीज़ नवीनीकरण के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 08.02.2013 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।**

उद्योग की प्रस्तावित परियोजना के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् दिनांक 08.02.2013 को अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी श्री एम. कल्याणी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा की अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान डॉ0 एस.के. उपाध्याय क्षेत्रीय अधिकारी, डॉ0 अनीता सावंत वैज्ञानिक, श्री राजेश खरे एस.डी.ओ.पी. भाटापारा, उद्योग प्रतिनिधि श्री किरण पाटिल प्लांट हेड एवं श्री के.वी. रेड्डी तथा मान्नीय विधायिका श्रीमती लक्ष्मी बघेल, जिला पंचायत की मान्नीय अध्यक्षा श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, जनपद पंचायत की मान्नीय अध्यक्षा श्रीमती अदिति बाघमार, जिला पंचायत के मान्नीय सदस्य, ग्राम पंचायतों के मान्नीय सरपंच, आस–पास के गांवों के किसान आदि लगभग दो हजार लोग उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई सुबह 10:00 बजे प्रारंभ की गई।

2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों द्वारा उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये गये, उनकी सूची संलग्नक–2 अनुसार है।

3. क्षेत्रीय अधिकारी डॉ0 एस.के. उपाध्याय द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 यथासंशोधित के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देते हुये परियोजना का संक्षिप्त विवरण जनसमुदाय के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने हेतु निवेदन किया गया।

4. अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी श्री एम. कल्याणी ने लोक सुनवाई हेतु आये मान्नीय जनप्रतिनिधियों एवं किसानों का स्वागत करते हुये कहा कि यह जन सुनवाई मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (हिरमी सीमेंट वर्क्स) द्वारा ग्राम हिरमी, परसवानी, बरडीह, फुण्डहरडीह एवं सकलोर, तहसील सिमगा, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में कैप्टिव लाईम स्टोन माईन 4.2 मिलियन टन/वर्ष (लीज़ क्षेत्र 997.355 हेक्टेयर) के लीज़ नवीनीकरण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् है। यह पर्यावरण से संबंधित जन सुनवाई है। उन्होंने जनसमुदाय से कहा कि प्रस्तावित परियोजना के संबंध में आपके विचार, सुझाव एवं आपत्तियों को जनसमूह के समक्ष व्यक्त कर सकते हैं एवं लिखित में भी दर्ज करा सकते हैं। इस प्रकार उन्होने लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा करते हुये उद्योग प्रतिनिधि को परियोजना के विस्तृत विवरण के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया।

5. उद्योग प्रतिनिधि श्री के.वी. रेड्डी ने परियोजना के संबन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि यह परियोजना केवल खनिज पट्टे के नवीनीकरण की है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना 695(E) दिनांक 04.04.2011 के तहत खनन पट्टा नवीनीकरण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी होती है। इस परियोजना में खदान का क्षेत्र 997.355 हेक्टेयर,

उत्पादन 4.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष है तथा मशीनों में कोई भी बदलाव नही किया जा रहा है। अतिरिक्त लागत लगाने का भी कोई प्रस्ताव नही है। यह केवल खनिज पट्टा नवीनीकरण हेतु है। खदान को चलाने हेतु सभी सरकारी कार्यालय द्वारा सभी आवश्यक अनुमतियॉ प्राप्त की गयी है। जलवायु पर कोई भी अतिरिक्त विपरित प्रभाव नही पड़ेगा क्योकि उत्पादन में कोई भी बदलाव नही हो रहा है, एवं पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा दिये गये TOR के तहत सर्दियों के मौसम में इसका अध्ययन किया गया है। उन्होनें खदान में होने वाली उत्पादन प्रकिया को समझाते हुए बताया कि खदान में सभी नयी तकनीकि की मशीनों का उपयोग किया जा रहा है जिससे गैंसों का उत्सर्जन कम होता है। सभी मशीनों में वातानुकुलित केबिन लगाए गये है जो कि कामगारों के स्वास्थ्य को अच्छा रखने में सहायक है। खदान में विस्फोट करते समय आधुनिक तकनीकि (नोनल, डिलेडेटोनेटर आदि) का प्रयोग किया जाता है, जिससे होने वाले कंपन को डी.जी.एम.एस. के मापदंड से नीचे रखा जाता है एवं धुल, आवाज आदि को भी नियंत्रित किया जाता है। खदान में उड़ने वाली धुल को रोकने के लिए हर जगह पर पानी का छिड़काव किया जाता है तथा चारों तरफ वृक्षारोपण करके हरित पट्टी का विकास किया गया है। श्री रेड्डी द्वारा आसपास के गावों में संयंत्र के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अधोसरंचना एवं कल्याणकरी कार्य के बारे में बताया। उन्होने इस दिशा में किए गए कार्यो के बारे में बताया कि ग्रामीण बच्चों और महिलाओं के लिए गाँवों में शिक्षा की सुविधाएं, शालाओं में कमरों के निर्माण के साथ साथ पेयजल की व्यवस्था, महिला स्वालंबन के लिए संयंत्र प्रबंधन द्वारा विभिन्न परियोजना के साथ अनेक जीवनोपयोगी कार्यों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रबंध किया गया है। आज की यह जनसुनवाई पर्यावरण स्वीकृति के लिए रखी गई है।

तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

1 **श्री अनुपम अग्रवाल, जनपद सदस्य कुथरौद** ने रेड्डी जी द्वारा दी गई जानकारियों को सच्चाई से परे बताया और दिए गए आंकड़ों पर असहमति जताते हुए उत्खनन के नवीनीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों का विरोध जताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की। आगे कहा कि संयत्र द्वारा पर्यावरण के लिए किए गए वृक्षारोपन के आंकड़े गलत हैं और रखरखाव ठीक से नही किया गया है, जो लगभग मृतप्राय स्थिति में है। उन्होने बताया कि स्कूल के पास लगाए गए टरबाइन की आवाज के कारण लगातार शोर होता रहता है जिससे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। संयंत्र के द्वारा अंधाधुन पानी का उपयोग किया जा रहा है, इसकी वजह से क्षेत्र का जलस्तर गिर गया है, जिससे ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में निस्तारी व घरेलू उपयोग सहित पीने का पानी नहीं मिल रहा है। विस्फोट के समय होने वाला कंपन मापदण्ड सीमा से अधिक है, जिसके परिणाम स्वरूप गाँवों के मकानों में दरारें देखी जा सकती हैं। बीस वर्ष पूर्व जिन भूस्वामियों की जमीन संयंत्र ने ली है उन्हे अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिल पाया है और न ही उन्हें जमीन के बदले जमीन या मुआवजा राशि ही मिली है। इन भूस्वामियों के परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी देने के वादों को संयंत्र ने पूरा नहीं किया आज भी अनेक भूस्वामी इसके उदाहरण हैं। कई लोगों की स्थिति आर्थिक कमी के कारण खराब है, वे उन जमीनों पर किसानी करते थे जो उनसे छिन चुकी है, अब वे बेरोजगार हैं। बेहतर होगा कि संयंत्र उनकी जमीन वापस करे ताकि वे पुनः कृषि कार्य कर सकें। मजदूरों व ग्रामीणों के उपचार की उचित व्यवस्था होना चाहिए। मरीजों के लिए एम्बुलैंस की व्यवस्था हो। गाँवों के बेरोजगारों को उनकी योग्यतानुसार संयंत्र में रोजगार देना चाहिए। संयंत्र से जिन श्रमिकों को किसी मामले में अलग कर दिया गया है, उन मामलों पर निर्णय लेकर उन्हें संयंत्र में वापस रखने

की पहल प्रबंधन को करना चाहिए। यदि इन समस्याओं पर संयंत्र द्वारा सकारात्मक निर्णय लिया जावे, क्षेत्र का विकास किया जावे, पर्यावरण की ओर उचित ध्यान दिया जावे, ग्रामीणों के उपचार की व्यवस्था की जावे, बच्चों की शिक्षा के लिए संयंत्र के स्कूलों में व्यवस्था हो, तो हमें संयंत्र के नवीनीकरण के प्रस्तावों के विरोध करने का प्रश्न नहीं है, अन्यथा इसका समर्थन हम नही करते।

2 **श्री राजेन्द्र वर्मा, ग्राम परसवानी** ने कहा कि मेरी जमीन संयंत्र के द्वारा ली गई थी, उस समय यह वादा किया गया था कि परिवार के किसी सदस्य को रोजगार देंगे, पर रोजगार अभी तक नहीं मिला। प्लांट ने 20 साल में ग्रामों में रहने वाले कितने परिवारों को कितना लाभ दिया इसके आंकड़े प्लांट दे। प्लांट के लिए गाँवों के ग्रामीणों की जमीन ली गई है, लेकिन आज भी हजारों एकड़ जमीन खाली है, इसका उपयोग नही हो रहा है। इसलिए जब प्लांट को इसकी जरूरत नही है, तो उसे ग्रामीणों को दे दिया जावे। उत्खनन के कम्पन के कारण परसवानी गाँव के घर–घर में दरार देखी जा सकती है। सुबह से शाम तक धूल से वातावरण भरा रहता है, जिसके कारण साँस लेना मुश्किल होता है, इससे ग्रामीणों को साँस की बिमारी हो सकती है। हमारे बच्चों को टेक्निकल ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद भी संयंत्र में उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। तकनीकी ज्ञान मिल जाने के बाद भी हमारे गाँवों के बच्चे बेरोजगार हैं।

3 **श्री सन्तराम वर्मा, ग्राम हिरमी/टेक्नीकल कॉलोनी** ने कहा कि संयंत्र में 18 वर्षों से लाईम डोजर में कार्यरत था। मुझे रेल डैमेज़ होने का आरोप लगाकर बरखास्त कर दिया गया। यहाँ हमें नौकरी नहीं दी जाती बल्कि संयंत्र में कार्यरत ठेकेदारों के साथ ग्रामीणों को नौकरी करना पड़ती है। इसके कारण जो लोग ठेकेदारों के साथ काम करते हैं, वे उनकी साजिश के शिकार हो जाते हैं, जैसा शिकार मैं हुआ। 1994 से लगातार 18 वर्ष नौकरी कर लेने के बाद भी मुझे साजिश कर निकाल दिया गया। मेरे कार्य का पूर्ण रिकार्ड देखकर मुझे न्याय दिलाने की कोशिश करें।

4 **श्री खिलन कुमार पटेल, कुथरौद** ने कहा कि 15–20 सालों से कंपनी में कार्यरत हूं लेकिन अभी तक मैं नियमित नहीं किया गया हूं। मेरी दरख्वास्त है कि मुझे और मेरे जैसे काम कर रहे दूसरे लोगों को भी स्थाई किया जावे और कम्पनी द्वारा हमें CL, PL की सुविधा दी जाए जो हमें अभी तक नहीं मिल रही है। हम कम्पनी के साथ काम कर रहे हैं लेकिन हमें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जितनी सुविधा मिल रही है उससे हमारा परिवार नही चल पाता। हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए मैं कम्पनी के लीज़ (पट्टे) का विरोध करता हूं, जब तक कि हमारी माँगें पूरी नहीं हो जाती।

5 **श्री प्राणनाथ वर्मा, जनपद सदस्य, मोहरा** ने कहा कि कम्पनी के प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं। कम्पनी स्थापना के समय भूमि का मूल्य निर्धारित कर हमसे जमीन खरीदी गई थी। गाँव से हमारी जमीन लेने के बाद आज तक उसका कोई निर्णय नहीं हुआ है और हमे मुआवजा नहीं मिला है। कम्पनी द्वारा हमारे साथ धोखा किया गया है, हम खेती नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास और कोई धंधा भी नहीं रह गया। कम्पनी ने हमे नौकरी देने का वादा किया गया था। हमारे पैसों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है और कम्पनी द्वारा संयंत्र में हमें स्थाई नहीं किया गया है। हमने बार–बार फरियाद की, लेकिन उसका कोई हल अब तक नहीं निकल सका है। कम्पनी ने ग्रामीणों के साथ अन्याय किया गया है और संयंत्र के द्वारा न ही इस क्षेत्र में कोई विकास का कार्य किया गया है। पर्यावरण संरक्षण की नीतियों का भी पालन कम्पनी द्वारा नही किया जा रहा है। 350 एकड़ खरीदी गई जमीन व्यर्थ पड़ी हुयी है। CSR के अंतर्गत दी जाने वाली रोजगारपरक शिक्षा की मान्यता रोजगार

कार्यालय में नही है। बरडीह–हिरमी मार्ग का परिवर्तन उचित नही हैं। संयंत्र से निकले व्यर्थ (वेस्ट) का सही ढंग से निष्पादन नही किया जा रहा है, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा ने भी इसकी सहमति नही दी है। क्षेत्र में पानी की कमी महसूस की जा रही है।

6 **श्री शिवनारायण वैष्णव, कुथरौद** ने कहा कि स्थाई सर्विस दिए जाने की बात हुई थी लेकिन अब तक स्थाई नहीं किया गया। तेरह साल से ठेके में काम कर रहा हूं। मेरी रेल्वे के पास की पौने दो एकड़ जमीन थी। झांसा देकर वह जमीन कम्पनी ने हमसे हड़प ली। यदि वह जमीन मेरे पास होती तो हम कुछ न कुछ अपने लिए और अपने परिवार के लिए कर पाते, लेकिन हमें ठेके पर काम करना पड़ रहा है। इन सबके बावजूद भी हमें सही पेमेन्ट नहीं दिया जाता। पेमेन्ट उतना नहीं मिलता जिससे हमारा परिवार चल सके। हम नहीं चाहते कि ऐसे प्लांट के लीज का नवीनीकरण स्वीकृत हो। आज जो कुछ मैं भोग रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि हमारी आगे की पीढ़ी भी इसे भोगे। मैं स्नातक हूं, लेकिन प्लांट ने मेरी शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ लोकल लोगों को प्राथमिकता नहीं मिलती। यहाँ काम करने वाले अधिकतर लोग बाहर के हैं, उन्हे भी प्लांट से सही पेमेन्ट नहीं होता। विस्फोट के कम्पन से गाँवों के घरों में उसका प्रभाव देखा जा सकता है। इससे जल का स्तर घट रहा है, गर्मी में पानी की के लिए परेशानी होती है। मोबाइल वैन के संबंध में जो जानकारी रेड्डी जी ने दी वह गलत है। मोबाइल वैन के नाम पर कम्पनी खानापूर्ति कर रही है। मोबाइल वैन में पर्याप्त औषधियों की कमी रहती है। इसी तरह घायलों के त्वरित इलाज के एम्बुलेन्स की सुविधा ग्रामीणों को नहीं मिलती। कंपनी द्वारा दिये जाने वाले रोजगार प्रशिक्षण की मान्यता नहीं है। सड़क कम्पनी द्वारा बनवाई गई है, पर उसकी चौड़ाई कम है। सड़क के उपर ट्रैफिक सिग्नल है, लेकिन रेल्वे गेट में दिक्कत होती है। सी.एस.आर. के अन्तर्गत ज्यादातर मरम्मत का कार्य किया गया है। तालाब गहरीकरण का जो कार्य कम्पनी द्वारा किया गया है, वह कुछ ही दिनों तक चला है।

7 **श्री रामनारायण डहरे, उपसरपंच ग्राम परसवानी** ने कहा कि इस पर्यावरणीय जनसुनवाई में माईन्स नवीनीकरण के अन्तर्गत मेरा कहना है कि परसवानी गाँव के सभी बेरोजगार युवकों को नौकरी दिया जावे। हमारे गाँव में केवल 22 व्यक्ति स्थाई नौकरी में है और बाकि ठेकेदारी में है। प्लांट लगा है यह गलत नहीं है, छत्तीसगढ़ी और क्षेत्रीय तथा निकटवर्ती गाँव वालों को प्राथमिकता दिया जावे। 15 साल से ज्यादा दिन से काम कर रहे मजदूरों को स्थाई नौकरी दी जावे। जब प्रारम्भ में जमीन खरीदी गई थी तब कम मूल्य दिया गया था, उसका सही मुआवजा दिया जावे, नही तो हम जनहित याचिका दायर करेंगे। कम्पनी ने विकास का कार्य कराया है, लेकिन हम इससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हैं। कम्पनी को और भी दूसरे कार्य कराने चाहिए। हमारा गाँव चारों तरफ माईन्स से घिरा है, कम्पनी द्वारा हमारे गाँव में आर.सी.सी. रोड बनाई जा रही है, उसका हम धन्यवाद करते हैं लेकिन हिरमी तक सम्पर्क रोड बनाना जरूरी है। कम्पनी द्वारा ग्रामीण स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षक की व्यवस्था की जावे, बिजली की अच्छी व्यवस्था हो एवं गाँवों में स्ट्रीट लाईट लगाई जावे। खदान के पानी को पाईप द्वारा चारों गाँवों में देना चाहिए। स्वास्थ्य की व्यवस्था में एम.बी.बी.एस. डॉक्टर चारो गाँवो में होने चाहिए। समस्या के हल के लिए कम्पनी प्रबंधन गम्भीरता से सोंचे। आप एक नहीं 10 प्लांट लगायें, इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन गाँव की युवा पीढ़ी को रोजगार मिले। हमारे पूर्वज जिस खेती को करते थे, वैसी खेती करने के लिये फैक्ट्री हमें सुविधा दे।

8 **श्री लालजी गायकवाड़, परसवानी** ने कहा कि प्लांट आने के बाद से मैं कामगार मजदूर के रूप में कार्यरत हूं, हमारी जमीन रावन और हिरमी की दोनों कंपनियों में गई है। पहले मैं

खेत में काम करता था पर अब हमारे पास जमीन नही हैं। अतः हमें योग्यता अनुसार स्थाई नौकरी चाहिए।

9 **डॉ0 गणेश्वर साहू, हिरमी** ने कहा कि संयंत्र द्वारा एम्बुलेन्स समय पर नही मिलता। हम चाहते है कि संयंत्र द्वारा अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था की जाए तथा कम्पनी अस्पताल में इलाज की व्यवस्था हो। दूसरी यूनिट लगने से जलस्तर घट जायेगा।

इसके उपरांत अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी श्री कल्याणी द्वारा माईन्स के लीज़ नवीनीकरण के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई के समाप्ति की घोषणा की गई।

लोक सुनवाई के पूर्व एवं लोक सुनवाई की प्रक्रिया दौरान कुल 19 अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, जो संलग्नक–1 अनुसार है। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी,
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)